



छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)

(Formerly Kanpur University, Kanpur)

कल्यानपुर, कानपुर-208024

Kalyanpur, Kanpur-208024

परीक्षा समिति की 19वीं बैठक दिनांक 29.07.2024, दिन सोमवार का कार्यवृत्त

आज दिनांक 29.07.2024, दिन सोमवार को अपराह्न 03:00 बजे सेण्टर फॉर एकेडेमिक भवन स्थित कार्य-परिषद् कक्ष में परीक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित रहे :-

क्र.सं.	पदाधिकारीगण का नाम	पद
1.	प्रो० विनय कुमार पाठक, कुलपति, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।	अध्यक्ष
2.	प्रो० सुधीर कुमार अवस्थी, प्रति कुलपति, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्य
3.	प्रो० सुधान्धु पाण्डेया, आचार्य, एस०बी०एम०, सी.एस.जे.एम.वि.वि. कानपुर।	सदस्य
4.	प्रो० आर०के० द्विवेदी, निदेशक, सी.डी.सी., सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्य
5.	प्रो० विवेक कुमार द्विवेदी, प्राचार्य, बी०एन०डी० कालेज, कानपुर।	सदस्य
6.	प्रो० विपिन कौशिक, प्राचार्य, वी०एस०एस०डी० कालेज, कानपुर।	सदस्य
7.	प्रो० संदीप कुमार सिंह, आचार्य, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।	सदस्य
8.	प्रो० नीरज कुमार सिंह, आचार्य, एस०बी०एम० विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्य
9.	प्रो० अमर श्रीवास्तव, प्राचार्य, हरसहाय डिग्री कॉलेज, कानपुर।	सदस्य
10.	डॉ० शशिकान्त त्रिपाठी, निदेशक, लीगल स्टडीज, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।	सदस्य
11.	प्रो० बी०डी० पाण्डेय, अध्यक्ष, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
12.	डॉ० पी०एन० त्रिवेदी, महामंत्री कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
13.	डॉ० अनिल कुमार यादव, कुलसचिव, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सदस्य
14.	श्री राकेश कुमार, परीक्षा नियंत्रक, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सचिव
15.	प्रो० मुरलीधर राम, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
16.	श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, वित्त अधिकारी, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
17.	डॉ० बृष्टि मित्रा, डीन एकेडेमिक, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्या
18.	प्रो० वी०के० कटियार, प्राचार्य, ब्रम्हावर्त पी०जी० कालेज, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
19.	डॉ० सरोज कुमार द्विवेदी, सिस्टम मैनेजर, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
20.	प्रो० अनूप कुमार सिंह, प्राचार्य, पी०पी०एन० कालेज, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
21.	डॉ० यतीन्द्र, डी०ए०वी० कालेज, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य

सचिव द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से परीक्षा समिति की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

बैठक में सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति में निम्नांकित निर्णय लिए गये—

मद संख्या— 2024.19.01

दिनांक 11.03.2024 को आयोजित परीक्षा समिति की 18वीं बैठक की कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण पर विचार।

निर्णय—

परीक्षा समिति द्वारा दिनांक 11.03.2024 को आयोजित परीक्षा समिति की 18वीं बैठक की कार्यवाही सर्वसम्मति से सम्पुष्टिकृत की गयी।

कार्यवाही—परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या— 2024.19.02

परीक्षा समिति के सदस्य प्रो० अखिलेश चन्द्र पाण्डेय, प्राचार्य अकबरपुर डिग्री कालेज, कानपुर देहात का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण उनके स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-29 तथा विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के अध्याय-XXXIII के परिनियम के प्रावधानानुसार एक नये सदस्य को परीक्षा समिति द्वारा नामित किये जाने पर विचार।

निर्णय—

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-29 तथा विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के अध्याय-XXXIII के परिनियम के प्रावधानानुसार (One other member of the Executive Council Co-opted by the Examination Committee) परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रो० आरती सक्सेना, ए०एन०डी०एन०एन०एम० कॉलेज, कानपुर को नामित किया गया।

कार्यवाही—परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या— 2024.19.03

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत सत्र 2023-24 के स्नातक पंचम एवं षष्ठम् सेमेस्टर तथा परास्नातक तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर पाठ्यक्रमों की पूरक परीक्षा (Supplementary Exam) कराये जाने पर विचार।

निर्णय—

परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत सत्र 2023-24 के स्नातक पंचम एवं षष्ठम् सेमेस्टर तथा परास्नातक तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर पाठ्यक्रमों की पूरक परीक्षा (Supplementary Exam) कराये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित छात्र/छात्रायें उपरोक्त परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे:—

1. स्नातक पंचम सेमेस्टर के एक विषय में (एक प्रश्न-पत्र अथवा दोनों प्रश्न-पत्रों में) अनुत्तीर्ण छात्र/छात्रायें।
2. स्नातक षष्ठम् सेमेस्टर के एक विषय में (एक प्रश्न-पत्र अथवा दोनों प्रश्न-पत्रों में) अनुत्तीर्ण छात्र/छात्रायें।

3. स्नातक पंचम सेमेस्टर के को-करीकुलर (Co-Curricular) विषय में अनुत्तीर्ण छात्र/छात्रायें।
4. स्नातक षष्ठम सेमेस्टर के को-करीकुलर (Co-Curricular) विषय में अनुत्तीर्ण छात्र/छात्रायें।
5. परास्नातक तृतीय सेमेस्टर के किसी एक प्रश्न-पत्र में अनुत्तीर्ण छात्र/छात्रायें।
6. परास्नातक चतुर्थ सेमेस्टर के किसी एक प्रश्न-पत्र में अनुत्तीर्ण छात्र/छात्रायें।

समिति द्वारा उक्त परीक्षाये वस्तुनिष्ठ/वैकल्पिक प्रकार से माह अगस्त, 2024 के तृतीय/चतुर्थ सप्ताह में सम्पन्न कराये जाने तथा महाविद्यालयों द्वारा उपरोक्त सम्बन्धित छात्र/छात्राओं का प्रवेश परास्नातक पाठ्यक्रम में औपबन्धिक रूप से लिये जाने का भी निर्णय लिया गया।

कार्यवाही-परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या- 2024.19.04

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित विषयों के समूह निर्धारण हेतु गठित समिति की संस्तुतियों के आधार पर कार्यालय ज्ञाप संख्या-सी.एस.जे.एम.वि.वि./सी.ओ.ई./485/2024, दिनांक 15.07.2024 द्वारा निर्धारित विषय समूह के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित विषयों के समूह निर्धारण हेतु गठित समिति की संस्तुतियों के आधार पर कार्यालय ज्ञाप संख्या-सी.एस.जे.एम.वि.वि./सी.ओ.ई./485/2024, दिनांक 15.07.2024 द्वारा निर्धारित विषय समूह पर परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त समूह निर्धारण की व्यवस्था माइनर विषय हेतु लागू नहीं होगी।

कार्यवाही-परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या- 2024.19.05

सत्र 2023-24 के एलएल0बी0 द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठम सेमेस्टर तथा बी0ए0एलएल0बी0 द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठम, अष्टम व दशम सेमेस्टर की परीक्षाओं हेतु निर्धारित नोडल केन्द्रों/परीक्षा केन्द्रों की सूची के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय-

परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से सत्र 2023-24 के एलएल0बी0 द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठम सेमेस्टर तथा बी0ए0एलएल0बी0 द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठम, अष्टम व दशम सेमेस्टर की परीक्षाओं हेतु निर्धारित नोडल केन्द्रों/परीक्षा केन्द्रों की सूची पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एलएल0बी0 एवं बी0ए0एलएल0बी0 की आगामी परीक्षाओं के लिए नोडल केन्द्रों/परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेतु अपना सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया गया:-

1. प्रो० सुधीर कुमार अवस्थी, प्रति-कुलपति।
2. प्रो० राजेश कुमार द्विवेदी, निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद्।

3. प्रो० अनूप कुमार, प्राचार्य पी०पी०एन० कालेज कानपुर।
4. प्रो० वी०के० कटियार, प्राचार्य ब्रह्मावर्त कालेज कानपुर।
5. डॉ० पी०एन० त्रिवेदी, महामंत्री, कूटा, वी०एस०एस०डी० कॉलेज, कानपुर।

उक्त समिति विधि परीक्षाओं के लिये परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु अपने सुझाव/संस्तुति प्रस्तुत करेगी जिसे आगामी परीक्षा समिति में विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाय।

कार्यवाही—परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2024.19.06

सत्र 2024-25 की एन०ई०पी० सम सेमेस्टर के कुछ विषयों की उत्तर कुंजी पर आपत्ति प्राप्त होने के पश्चात् उसे अपडेट किया गया है। उपरोक्त से समिति को संसूचित किये जाने पर विचार।

निर्णय—

उपरोक्त प्रकरण पर प्रो० सुधांशु पाण्डिया, डीन प्रशासन तथा प्रो० आर०के० द्विवेदी, निदेशक, कॉलेज विकास परिषद् एवं दो विषय विशेषज्ञों की समिति की संस्तुति के पश्चात् उत्तरकुंजी अपडेट की गयी है। परीक्षा समिति उपरोक्त से संसूचित हुई एवं भविष्य में अन्य विषयों में भी प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण उक्त समिति के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही—परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2024.19.07

उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के पत्र संख्या 848/सत्तर-3-2024 दिनांक 22.04.2024 के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2024-25 से समर्थ पोर्टल का कियान्वयन आरम्भ कर दिया गया है। उपरोक्त से समिति को संसूचित किये जाने पर विचार।

निर्णय—

परीक्षा समिति तदनुसार संसूचित हुई।

कार्यवाही—परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2024.19.08

एन०ई०पी० पाठ्यक्रम में कुछ महाविद्यालयों द्वारा विभिन्न सेमेस्टर की आंतरिक परीक्षाओं में छात्र/छात्राओं को अंक प्रदान नहीं किया गया है। ऐसे छात्र-छात्राओं का परीक्षा परिणाम पूर्ण/अपडेट किये जाने पर विचार।

निर्णय—

परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिन महाविद्यालयों द्वारा विभिन्न सेमेस्टर की आंतरिक परीक्षाओं में छात्र/छात्राओं को अंक प्रदान नहीं किया गया है ऐसे छात्र-छात्राओं को सम्बन्धित विषय की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों का औसत/न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रदान करते हुए उनका परीक्षाफल पूर्ण किया जाय।

कार्यवाही—परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2024.19.09

परीक्षा सम्बन्धी कार्यों के अन्तर्गत उत्तर पुस्तिकाओं की स्कूटनी तथा प्रश्न-पत्रों एवं उत्तर कुंजी के मिलान हेतु सम्बन्धित शिक्षकों के पारिश्रमिक निर्धारण पर विचार।

निर्णय-

परीक्षा समिति द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में एक समिति का गठन निम्नानुसार किया गया:-

1. वित्त अधिकारी।
2. कुलसचिव।
3. परीक्षा नियंत्रक।
4. प्रो० वी०के० कटियार, प्राचार्य, ब्रम्हावर्त पी०जी० कॉलेज, कानपुर।

समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या आगामी परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

कार्यवाही-परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2024.19.10

स्कूटनी के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं को उत्तर पत्रक (ओ०एम०आर० शीट) उपलब्ध कराने पर विचार।

निर्णय-

परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से छात्र-छात्राओं को उत्तर पत्रक (ओ०एम०आर० शीट) ऑनलाइन पोर्टल पर निर्धारित शुल्क रू० 300/- जमा कराते हुए उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि ओ०एम०आर० पत्रक का मूल्यांकन कम्प्यूटर द्वारा किये जाने के कारण उसका चुनौती मूल्यांकन नहीं कराया जाएगा।

कार्यवाही-परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2024.19.11

मो० नईम पुत्र बसारत अली, बी०एस-सी० (तृतीय वर्ष) परीक्षा वर्ष 2017 अनुक्रमांक 6067087, महाविद्यालय-बी०एन०ए०एस० महाविद्यालय, महरा, हरदोई के परीक्षाफल पर विचार।

निर्णय-

परीक्षा समिति की 15वीं बैठक दिनांक 20.07.2023 के मद संख्या 2023.15.09 पर लिये गये निर्णय के क्रम में माननीय कुलाधिपति द्वारा पारित आदेश ई-5003/जी.एस. दिनांक 04.08.2022 में पारित आदेश के क्रम में हिमांशी मिश्रा, बी०एस-सी० (तृतीय वर्ष) परीक्षा वर्ष 2017 अनुक्रमांक 6067061, केन्द्र-बी०एन० महाविद्यालय, महरा, हरदोई के बी०एस-सी० (तृतीय वर्ष) के परीक्षाफल को वर्ष 2017 की मूल परीक्षा में रसायन विज्ञान के द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्र में प्राप्त अंको को प्रदान करते हुये परीक्षाफल पूर्ण कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय के आधार पर मो0 नईम पुत्र बसारत अली, बी0एस-सी0 (तृतीय वर्ष) परीक्षा वर्ष 2017 अनुक्रमांक 6067087, महाविद्यालय-बी0एन0ए0एस0 महाविद्यालय, महरी, हरदोई के परीक्षाफल पूर्ण कराये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया साथ ही इस महाविद्यालय के ऐसे समान प्रकरणों (उक्त बैच) के निस्तारण हेतु परीक्षा नियंत्रक को अधिकृत किया गया।

कार्यवाही-परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2024.19.12

श्री मुनेश्वर सिंह द्वारा इस आशय की शिकायत की गयी है कि श्री आलोक कुमार मिश्र द्वारा सत्र 2020-21 में न्यूनतम प्रतिशत (55%) की बाध्यता के विपरीत व्यक्तिगत छात्र के रूप में अर्थशास्त्र विषय के साथ एम0ए0 की उपाधि प्राप्त की गयी है, जिसे निरस्त किया जाय। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय-

शिकायतकर्ता मुनेश्वर सिंह, सहायक अध्यापक, लाला श्याम लाल इण्टर कालेज, कन्नौज द्वारा शिकायत की गयी है कि श्री आलोक कुमार मिश्र, सहायक अध्यापक, लाला श्याम लाल इण्टर कालेज, कन्नौज द्वारा वर्ष 2020 में एम0ए0 प्रथम वर्ष, अनुक्रमांक 7020501 तथा वर्ष 2021 में एम0ए0 द्वितीय वर्ष, अनुक्रमांक 2020502 व्यक्तिगत छात्र के रूप में उत्तीर्ण कर अंकपत्र प्राप्त कर लिया गया है जो विश्वविद्यालय प्रवेश नियमावली के विरुद्ध है, क्योंकि संकाय परिवर्तन के लिए 55% अंक स्नातक (बी0एस-सी0) में अनिवार्य है।

समिति द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में श्री आलोक कुमार मिश्र द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विश्वविद्यालय के नियमानुसार परास्नातक पाठ्यक्रम में संकाय परिवर्तन की स्थिति में स्नातक में न्यूनतम 55% अंक होना अनिवार्य है। श्री आलोक कुमार मिश्र द्वारा व्यक्तिगत छात्र के रूप में अर्थशास्त्र विषय के साथ एम0ए0 किया गया है जबकि उनका बी0एस0सी0 में प्राप्तांक 54.15% है। विश्वविद्यालय द्वारा श्री आलोक कुमार मिश्र को एम0ए0 का अंकपत्र एवं उपाधि प्रदान की जा चुकी है।

अतः परीक्षा समिति द्वारा उपरोक्त प्रकरण को विशेष प्रकरण मानते हुए छात्रहित में पूर्व व्यापी प्रभाव (Retrospective effect) के साथ संकाय परिवर्तन हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत (55%) की सीमा में शिथिलता प्रदान करते हुए छात्र श्री आलोक कुमार मिश्र को निर्गत अर्थशास्त्र विषय के साथ एम0ए0 (वर्ष 2020-2021) के अंकपत्र एवं उपाधि को वैध घोषित किया जाता है। इसको भविष्य में दृष्टान्त न बनाया जाय।

कार्यवाही-परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य मद

मद संख्या 2024.19.01—अ.म.

याचिका सं० 16198/2023 श्रीमती शिल्पी पोरवाल बनाम उ०प्र० राज्य व दो अन्य में मा० उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 24.05.2023 एवं 02.04.2024 के क्रम में श्रीमती शिल्पी पोरवाल के नाम संशोधन संबंधी प्रकरण पर नाम संशोधन समिति बैठक दिनांक 17.05.2024 के कार्यवृत्त के क्रम में किये गये संशोधन से परीक्षा समिति को संसूचित करने पर विचार।

निर्णय—

परीक्षा समिति तदनुसार संसूचित हुई।

कार्यवाही—परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2024.19.02—अ.म.

एन०ई०पी० पाठ्यक्रम से सम्बन्धित छात्र छात्राओं को नाम, पिता के नाम में संशोधन के क्रम में छात्र सहायता प्रकोष्ठ में दिनांक 24.05.2024 को आहूत बैठक के कार्यवृत्त परीक्षा समिति की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने पर विचार।

निर्णय—

परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही—परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2024.19.03—अ.म.

छात्र सहायता प्रकोष्ठ Standard operating Procedure Version 2 (SSC S.O.P. V-2) के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय—

परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही—परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2024.19.04—अ.म.

छात्र श्री विपिन शर्मा के बी0एस0सी0 पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में एक्स स्टूडेंट के रूप में परीक्षा दी गई जिसमें छात्र द्वारा भौतिक विज्ञान विषय में बैकपेपर एवं रसायन विज्ञान विषय के प्रैक्टिकल में लेफ्टओवर परीक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया जबकि विश्वविद्यालय अभिलेखों में छात्र प्रैक्टिकल में अनुपस्थित है एवं बैकपेपर हेतु अर्ह न होते हुए भी सम्मिलित हुआ। छात्र द्वारा रसायन विज्ञान प्रैक्टिकल के अंक अंकित करते हुये उपाधि निर्गत करने का अनुरोध किया गया है, के प्रकरण पर विचार।

निर्णय—

परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से छात्र श्री विपिन शर्मा पुत्र श्री वेदप्रकाश शर्मा के प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त छात्रहित में रसायन विज्ञान विषय के प्रैक्टिकल में अंकतालिका में अंकित 41 अंक को चार्ट में अंकित करते हुए बैकपेपर के अंकों को यथावत रखते हुए परीक्षाफल पूर्ण किये जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही—परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2024.19.05—अ.म.

छात्र श्री आशुतोष दत्त श्रीवास्तव द्वारा स्नातक द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम में समाज शास्त्र विषय के स्थान पर राजनीति शास्त्र विषय अंकित किये जाने पर विचार।

निर्णय—

परीक्षा समिति द्वारा छात्र श्री आशुतोष दत्त श्रीवास्तव के प्रकरण पर विचार करते हुए छात्र को विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत राजनीति शास्त्र विषय की परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। तदनुसार प्राप्त अंकों को अंकित करते हुए परीक्षाफल पूर्ण कर छात्र की संशोधित अंकतालिका निर्गत की जाय।

कार्यवाही—परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2024.19.06—अ.म.

बार काउन्सिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा विभिन्न शैक्षणिक अभिलेखों का सत्यापन मात्र स्नातक तृतीय वर्ष एवं एल0एल0बी0 तृतीय वर्ष की अंकतालिका के आधार पर करने पर विचार।

निर्णय—

परीक्षा समिति उक्त से अवगत हुई कि छात्र/छात्राओं के शैक्षणिक अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित पाठ्यक्रम की समस्त वर्षों की अंकतालिकाओं की छायाप्रति सहित आवेदन (ऑनलाइन) के उपरान्त ही सत्यापन आख्या सम्बन्धित नियोक्ता/विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित की जाती है किन्तु बार काउन्सिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा विभिन्न शैक्षणिक अभिलेखों का सत्यापन मात्र स्नातक तृतीय वर्ष एवं एल0एल0बी0 तृतीय वर्ष की अंकतालिका के आधार पर किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है एवं इस सम्बन्ध में माननीय एपेक्स कोर्ट के रिट याचिका संख्या 82/2023 में पारित आदेश दिनांक 10.04.2023 के क्रम में विभिन्न शैक्षणिक अभिलेखों का सत्यापन मात्र स्नातक तृतीय वर्ष एवं एल0एल0बी0 तृतीय वर्ष की अंकतालिका के आधार पर किये जाने का बार-बार अनुरोध किया जा रहा है।

अतः परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेषित किये जाने वाले विभिन्न शैक्षणिक अभिलेखों का सत्यापन ऑनलाइन आवेदन के क्रम में मात्र स्नातक अंतिम वर्ष एवं एलएल0बी0 के अंतिम वर्ष (तृतीय वर्ष) की अंकतालिका के आधार पर इस शर्त के साथ किया जाय कि सम्बन्धित छात्र/छात्राओं के स्नातक प्रथम एवं द्वितीय तथा एलएल0बी0 प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में किसी भी विसंगति की स्थिति में उसका उत्तरदायी विश्वविद्यालय नहीं होगा, सम्पूर्ण उत्तरदायित्व बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का होगा।

कार्यवाही—परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2024.19.07—अ.म.

विश्वविद्यालय की प्रायोगिक/मौखिक परीक्षाओं हेतु राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के अध्यापकों को ही नियुक्त किये जाने पर विचार।

निर्णय—

परीक्षा समिति द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में सुझाव/आख्या प्रस्तुत करने हेतु एक समिति का गठन निम्नवत् किया गया:—

1. प्रो० राजेश कुमार द्विवेदी, निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद्।
2. प्रो० बी०डी० पाण्डेय, अध्यक्ष कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।
3. प्रो० वी०के० कटियार, प्राचार्य ब्रम्हावर्त कॉलेज, कानपुर।
4. प्रो० अनूप कुमार, प्राचार्य पी०पी०एन० कॉलेज, कानपुर।
5. डॉ० सरोज कुमार द्विवेदी, सिस्टम मैनेजर—सदस्य सचिव।

उपरोक्त समिति द्वारा प्रस्तुत सुझाव/आख्या आगामी परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के अध्यापकों द्वारा विश्वविद्यालय की परीक्षा में कम से कम 300 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाना अनिवार्य किया जाय।

कार्यवाही—परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

अन्त में सचिव द्वारा समस्त माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त की गयी।


(राकेश कुमार)

परीक्षा नियंत्रक/सचिव, परीक्षा समिति


(प्रो० विनय कुमार पाठक)
कुलपति/अध्यक्ष